**उत्तर प्रदेश शासन**

**लोक निर्माण अनुभाग-9**

**संख्या-194/2021/आई0/121828/2021**

**पत्रा0 स0-** 23-9012/68/2020

**लखनऊ : दिनांक 13 दिसम्बर, 2021**

**शुद्धिपत्र**

वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0-24 योजनान्तर्गत स्वीकृत जनपद ललितपुर में महरौनी-बानपुर मार्ग पर जामुनी नदी पर (पुतली घाट) पर सेतु निर्माण की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-140/2021/आई0/96783/2021-लोक निर्माण अनुभाग-9, दिनांक 10.09.2021 द्वारा निर्गत की गयी है।

2- उक्त शासनादेश के प्रथम प्रस्तर में जनपद ललितपुर के उक्त सेतु की मूल स्वीकृति का शासनादेश त्रुटिवश 23/2018/504/23-9-2018-12नाबार्ड (सेतु)/2017, दिनांक 31.03.2018 अंकित हो गया है जबकि उक्त सेतु की मूल स्वीकृति का शासनादेश 12/2019/193/23-9-2019-24नाबार्ड(सेतु)/2018, दिनांक 01.03.2019 है।

3- अतः उक्त शासनादेश दिनांक 10.09.2021 के प्रथम प्रस्तर में अंकित शासनादेश संख्या-23/2018/504/23-9-2018-12नाबार्ड (सेतु)/2017, दिनांक 31.03.2018 के स्थान पर शासनादेश संख्या-12/2019/193/23-9-2019-24नाबार्ड(सेतु)/2018, दिनांक 01.03.2019 पढ़ा जाय।

4- उक्त शासनादेश दिनांक 10.09.2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। प्रश्नगत शासनादेश में अंकित शेष विवरण व शर्तें/ प्रतिबन्ध पूर्व की भांति ही यथावत् रहेंगे।

( महेश कुमार )
विशेष सचिव

**संख्या उपरोक्त तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ।

3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।

4- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
6- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (सेतु)/ वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 ।
9- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ) ।
10- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10 ।
12- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

( महेश कुमार )
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।